377

485

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर. सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

राज०निगरानी क्र०/ /016

रु 20 कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रु 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE

विलोपित / विलोपित

विलोपित / विलोपित

नि० 3079 - II 16

कृष्ण कुमार सोनी उम्र-49 वर्ष पिता जीवन लाल सोनी पेशा-जातीय धंधा निवासी ग्राम कटरा, थाना गढ़, तह० त्योंथर, जिला रीवा, म०प्र०.

----- आवेदक

बनाम

01- रामगोपाल गुप्ता पिता श्री लालमणि गुप्ता उम्र-58 वर्ष पेशा-जातीय धंधा, निवासी ग्राम कटरा, थाना गढ़, तह० त्योंथर जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र बावत् न्यायालय राजस्व निरीक्षक चाकघाट, के प्र०क्र० 39/अ-12/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 30.05.016 के विरुद्ध ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

॥01॥ यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.016 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

॥02॥ यहकि प्रश्नाधीन आदेश मनमाना एवं न्याय विपरीत है, जो बिना किसी आधार व अधिकारिताके होनेसेनिरस्त किए जाने योग्य है ।

॥03॥ यह कि प्रश्नाधीन आराजी नं0 107/1-घ रकबा0.001है0 की सीमांकन

निरंतर....

(377)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0--**3079-II**/2016 जिला–रीवा

कृष्ण कुमार/रामगोपाल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जवाहरलाल दुबे उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त चाकघाट तहसील त्योंथर के प्रकरण क्रमांक 39/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	